न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या– 112/2009–10

श्री प्रदीप नरायण उनियाल निवासी ग्राम नवादा, जिला देहरादून।

–निगरानीकर्ता

बनाम

श्री फुल्लू पुत्र श्री जाती निवासी ग्राम दूधली आदि।

–विपक्षी

अन्तर्गत धारा–333 जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

बावत

खसरा संख्या 456 क रकवा 0.1822 है0 ग्राम नवादा परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

इस निगरानी में अपर आयुक्त (प्रशासन), गढ़वाल मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2010 को चुनौती दी गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। पक्षों के बीच धारा 229 बी जमीनदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था का वाद सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) मसूरी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विवादित भूमि के अंश पर आबादी होने का वाद बिन्दु बना जिसे निर्णीत करने के लिए परगनाधिकारी देहरादून से रिपोर्ट मांगी गई जिसे सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी, मसूरी द्वारा 21 अगस्त, 2006 को स्वीकार कर लिया गया। 26 जून, 2007 को सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी मसूरी ने वाद में प्रतिवादी की ओर से आबादी की रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति यह कहकर अस्वीकार कर दी कि इस वाद बिन्दु पर 21 अगस्त, 2006 को निर्णय किया जा चुका है। सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी, मसूरी के इस आदेश के विरूद्ध उपर्युक्त निगरानी अपर आयुक्त (प्रशासन), गढ़वाल मण्डल में योजित की गई जिसे अपर आयुक्त (प्रशासन), गढ़वाल मण्डल ने उनके समक्ष निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्णीत किया।

मैंने अपर आयुक्त (प्रशासन) गढ़वाल मण्डल के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया तथा सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी, मसूरी के न्यायालय में वाद पत्रावली का अवलोकन किया। अपर आयुक्त (प्रशासन) गढ़वाल मण्डल का निगरानी संख्या 6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2010 विधिक रूप से सही है तथा अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुकूल है। इस आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः निगरानी अस्वीकृत की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

देहरादून,
31 जुलाई, 2013

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष।